

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/17/DILRMP/2014/850


दिनांक :- 22.06.20

आदेश

भारत सरकार द्वारा DILRMP के अन्तर्गत 111 तहसीलों में मॉडर्न रिकार्ड रूम स्थापना कार्य के सम्बन्ध में जारी समसंख्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 4074-4081 दिनांक 12.06.2019 एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2019 में लिए गये निर्णय के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार मॉडर्न रिकार्ड रूम के लिए शेष तहसीलों के लिए आवश्यक समस्त कार्य RBAAS के माध्यम से किये जाने थे, उसके स्थान पर मॉडर्न रिकार्ड रूम स्थापना के समस्त तहसीलों के समस्त कार्य राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पूर्ववत सम्पादित किये जावेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आरबास, भू-प्रबन्ध आयुक्त
एवं नोडल अधिकारी, डीआईएलआरएमपी
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक 22.06.20

क्रमांक/समसंख्यक/ 851-856

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अध्यक्ष, आरबास राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
4. निजी सहायक, अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी आरबास, जयपुर।



अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।